**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1567**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**पेट्रोलियम की कीमतों के संकट का प्रबंधन**

**1567. श्री अहमद हसनः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार पेट्रोलियम कीमतों के संकट का प्रबंधन करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पेट्रोलियम कीमतों की अति अस्थिरता के कारण सरकार द्वारा कोई सुभेद्यता विश्लेषण शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसे किसी अध्ययन पर विचार किया है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख) सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्‍यों को क्रमश:  26.06.2010  और  19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से,  सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कं‍पनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्‍ट्रीय उत्पाद मूल्‍यों  तथा अन्‍य बाजार दशाओं के अनुरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्‍य निर्धारण के संबंध में उपयुक्‍त निर्णय लेती हैं। सरकार राजसहायता प्राप्‍त घरेलू एलपीजी के उपभोक्‍ताओं के लिए प्रभावी मूल्‍य और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्‍य को आवश्‍यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है।

(ग)   और (घ) सरकार ने पूर्व में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के संबंध में विभिन्न समितियों का गठन भी किया है और समय-समय पर उपयुक्त निर्णय लिए गए थे।

\*\*\*\*